विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 335

दुर्ग, दिनांक - 28/04/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 139
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी. क्रमांक : **1002122393**

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 23 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1002122393, स्वीकृत भार 1306 वाट, के विद्युत बिल में त्रुटि होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का मुख्य कथन है कि नवंबर 2023 से मई 2025 तक की अवधि के लिए 520 यूनिट की औसत खपत के आधार पर बिलिंग की गई है, जबकि उक्त बिलिंग वास्तविक मीटर रीडिंग अथवा उचित फील्ड सत्यापन के आधार पर नहीं की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. संबंधित विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के परिसर में घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 1306 वाट है।
3. संबंधित कनेक्शन में जून 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत की गई है कि नवंबर 2023 से मई 2025 तक की अवधि में 520 यूनिट की औसत खपत के आधार पर बिल जारी किया गया, जो वास्तविक मीटर रीडिंग अथवा स्थल सत्यापन पर आधारित नहीं है। आवेदक के अनुसार उक्त अवधि की असेसमेंट बिलिंग का उचित आधार नहीं है तथा बिल का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा संबंधित विद्युत कनेक्शन की अप्रैल 2018 से जुलाई 2026 तक की बिलिंग जानकारी, मीटर डायरी एवं रीडिंग/गणना संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

(1) क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 520 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग उचित है?

(2) क्या उक्त अवधि की खपत का पुनर्निर्धारण उपलब्ध मीटर रीडिंग एवं स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना उचित होगा?

(3) क्या उपभोक्ता को घरेलू श्रेणी के लागू टैरिफ के अनुसार बिलिंग किया जाना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

1. संबंधित कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2021 से डिफेक्टिव दर्शाया गया है तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने तक उक्त स्थिति बनी रही। मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में उपभोक्ता की खपत का आकलन 520 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के आधार पर किया गया है।

2. जून 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग/मीटर रीडिंग अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता की औसत मासिक खपत लगभग 57 यूनिट प्रतिमाह रही है। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात की वास्तविक खपत, पूर्व में डिफेक्टिव मीटर की अवधि में निर्धारित 520 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है।

3. ऐसी स्थिति में डिफेक्टिव मीटर की अवधि के दौरान 520 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग को यथावत रखना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात प्राप्त वास्तविक औसत खपत को ध्यान में रखते हुए संबंधित अवधि की बिलिंग का पुनर्निर्धारण एवं संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा।

4. अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि संबंधित विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है। अतः संबंधित अवधि में लागू घरेलू श्रेणी के टैरिफ एवं नियमों के अनुसार ही बिलिंग किया जाना उचित है।

5. अतः फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि के दौरान 520 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग का पुनः परीक्षण कर, नियमानुसार संशोधित बिल तैयार किया जाना आवश्यक है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कनेक्शन में मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान 520 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग का पुनर्निर्धारण किया जाए।

2. पुनर्निर्धारण करते समय स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक मीटर रीडिंग एवं औसत खपत लगभग 57 यूनिट प्रतिमाह को उचित आधार मानते हुए, लागू नियमों के अनुसार संबंधित अवधि की खपत का पुनः आकलन किया जाए।

3. संबंधित कनेक्शन घरेलू प्रयोजन का होने के कारण संशोधित बिलिंग में घरेलू श्रेणी के लागू टैरिफ एवं प्रचलित नियमों का पालन किया जाए।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग